संख्या - 3059 आर/छ-पु-5-770/92

प्रेषक,

के0 के0 बाजपेई,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनाँक:23 दिसम्बर, 1994

विषय: राज्य कर्मचारियों के आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से प्राप्त माँग पत्र में राज्य कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृति करने की माँग की गई है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि राज्य कर्मचारियों से आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अधीन नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर तत्परतापूर्वक जाँच कार्यवाही पूर्ण कराकर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(के0 के0 बाजपेई)
अनु सचिव।